

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं. 21/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 778(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
“94क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जिन्हे प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो से भिन्न”।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, जिसे सा.का.नि. 151(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2023

No. 21/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 778(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017, namely

In the said notification, in the Schedule, after S. No. 94 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“94A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled”.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of October, 2023.

[F. No. CBIC-190354/195/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

VIKRAM WANERE, Under Secy.

Note: -The principal notification No.2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2023 – Integrated Tax (Rate), dated the 28th February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 151(E), dated the 28th February, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2023

सं.18/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 779(अ).— संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 8 की उप धारा (1) तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 711 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
“94क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो से भिन्न”

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2023 - संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 फरवरी, 2023, जिसे सा.का.नि. 152(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।